

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी, 2017-माघ 7, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है मैं, विजेता चांडक आत्मज श्री गोपालदास चांडक, निवासी-वार्ड नं. 17, चौकी धरमटेकरी, थाना कुंडीपुरा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा का निवासी हूँ तथा मेरा उपनाम विराज चांडक के नाम से प्रचलित है तथा समाज में विराज चांडक के नाम से पहचाना जाता हूँ. अतः उक्त जाहिर सूचना के प्रकाशन के बाद विजेता चांडक के स्थान पर विराज चांडक परिवर्तित नाम से जाना एवं सम्बोधित किया जावे.

पुराना नाम :

(विजेता चांडक)

(609-बी.)

नया नाम :

(विराज चांडक)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम गणेश कैथवास पिता श्री कन्हैयालाल कैथवास था. वर्तमान में परिवर्तित होकर मेरा नाम राज कैथवास (Raj Kaithwas) होकर मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(गणेश कैथवास)

(GANESH KAITHWAS)

(623-बी.)

नया नाम :

(राज कैथवास)

(RAJ KAITHWAS)

64, संजीवनी नगर, मयूर हॉस्पिटल के पीछे,
इन्दौर मध्यप्रदेश.

नाम परिवर्तन

मैं, एतद्द्वारा घोषित करती हूँ कि मैं, रितिका दुबे पुत्री श्री गिरिश दुबे, आयु 28 वर्ष, निवासी-एम. पी. ई. बी. कॉलोनी, वार्ड क्र. 4, नेपानगर, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश और हाल/वर्तमान, निवास पता-जॉली मेंशन, मातापुर बाजार एरिया, वार्ड क्र. 04, नेपानगर, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर मध्यप्रदेश की हूँ.

मेरा पहला नाम रितिका दुबे पुत्री गिरिश दुबे था, जो मैंने मेरे विवाह बाद बदलकर मेरा नाम गुनीत कौर कर लिया है. और मेरे पति का नाम जगमितसिंह जॉली है.

मेरा परिवर्तित नाम गुनीत कौर प्रचलन में होकर मुझे इसी परिवर्तित नाम से जाना-पहचाना जावे और इसी परिवर्तित नाम से संबोधित किया जावें.

पुराना नाम :

(रितिका दुबे)

पिता श्री गिरिश दुबे.

(624-बी.)

नया नाम :

(गुनीत कौर)

पति जगमितसिंह जॉली.

नाम परिवर्तन

मैं, Kamlesh Kumar Thakur S/o Narmada Prasad Thakur यह सूचित करता हूँ कि मेरे 12वीं एवं ग्रेजुएशन की मार्कशीट में मेरा नाम Kamlesh Kumar Gond S/o Narmada Prasad Thakur लिखा हुआ है जबकि मेरे 10वीं की मार्कशीट एवं समस्त दस्तावेजों में और शासकीय सेवा में मेरा नाम Kamlesh Kumar Thakur S/o Narmada Prasad Thakur लिखा हुआ है, जो सही है. अतः मेरे नाम को Kamlesh Kumar Thakur S/o Narmada Prasad Thakur ही पढ़ा एवं समझा जावे.

पुराना नाम :

(KAMLESH KUMAR GOND)

(625-बी.)

नया नाम :

(KAMLESH KUMAR THAKUR)

Address- H. No. 2, Hospital Campus,
CHC Manpur, Disst. Umaria, (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आशीष जोशी पुत्र श्री मदन कुमार जोशी, निवासी-एचआईजी-205, पंडित भीमसेन जोशी परिसर, सेक्टर-2, साकेत नगर, भोपाल (म.प्र.) का दसवीं, स्नातक, स्नातकोत्तर की अंकसूची में नाम आशीष कुमार जोशी (Ashish Kumar Joshi) दर्ज/अंकित है. बारहवीं एवं अन्य कुछ पाठ्यक्रमों की अंकसूची में मेरा नाम आशीष जोशी (Ashish Joshi) दर्ज/अंकित है. जबकि अन्य दस्तावेज (आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि) में आशीष जोशी (Aashish Joshi) दर्ज/अंकित है. उक्त तीनों नाम (Ashish Kumar Joshi) (Ashish Joshi) एवं (Aashish Joshi) एक ही व्यक्ति के हैं, और वह व्यक्ति मैं स्वयं हूँ. अब मैं आशीष जोशी (Aashish Joshi) के नाम से जाना/पहचाना जाता हूँ. मेरा यही नाम पासपोर्ट/बैंक खाते आदि में दर्ज है. आगे से मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम आशीष जोशी (Aashish Joshi) लिखा-पढ़ा एवं जाना-पहचाना जाए.

पुराना नाम :

(आशीष कुमार जोशी/आशीष जोशी)

(Ashish Kumar Joshi/Ashish Joshi)

(626-बी.)

नया नाम :

(आशीष जोशी)

(Aashish Joshi)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शाह तौहीद आत्मज सिदाकत अली शाह है. भविष्य में मुझे सैयद तौहीद अली आत्मज सिदाकत अली शाह, निवासी ए-204 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, ऐशबाग, भोपाल (म.प्र.) के नाम से भी जाना जावे.

पुराना नाम :

(शाह तौहीद)

(627-बी.)

नया नाम :

(सैयद तौहीद अली)

CHANGE OF NAME

I, Shivam Singh S/o Late Udai Singh, Residence at B-06, Fortune Soumya Heritage, Hoshangabad Road, Bhopal M.P. 462026. have changed my name from Shivam Singh to Prithvi Singh on from 11th January, 2017.

Old Name:

(SHIVAM SINGH)

(628-B.)

New Name :

(PRITHVI SINGH)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती रिया अग्रवाल पत्नी श्री अंकुर अग्रवाल, निवासी-टी-3, परीकल्प होम A37/38, हरिशंकरपुरम, ग्वालियर (म.प्र.) यह कि मुझे प्रार्थिनी का विवाह के पूर्व नाम शताब्दी जैन अंकित है, जबकि अब मैंने विवाह के उपरांत नाम 'RHEA AGGARWAL रख लिया. अतः अब मुझे भविष्य में श्रीमती रिया अग्रवाल RHEA AGGARWAL के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(शताब्दी जैन)

नया नाम :
(रिया अग्रवाल)
निवासी-टी-3, परीकल्प होम,
A37/38, हरिशंकरपुरम, ग्वालियर (म.प्र.).

(629-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, दिव्यकान्त मिश्र आत्मज श्री मदन मोहन मिश्र जाति बाम्हण, स्थायी निवासी मृदुकिशोर कॉलोनी, मण्डला मध्यप्रदेश, पिन-481661; निवास स्थान फोन 07642-260107 एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे समस्त अभिलेखों-शासकीय सेवा संबंधी समस्त दस्तावेजों, पहिचानपत्रों, आधार कार्ड, पेन कार्ड शैक्षणिक योग्यता संबंधित समस्त अंकसूचियों तथा बैंक खाते में मेरा नाम दिव्यकान्त मिश्र दर्ज है एवं मेरा घरेलू नाम दीपक है यह कि मेरे पासपोर्ट क्र. एफ 3398716 जारी दिनांक 08-06-2005 में मेरे नाम दिव्यकान्त के साथ में उर्फ दीपक मिश्र अंकित है जिसे केवल दिव्यकान्त मिश्र संस्थित रहना चाहिए. अतएव भविष्य में तदानुसार दिव्यकान्त मिश्र पढ़ा एवं माना जावे.

पुराना नाम :
(दिव्यकांत उर्फ दीपक मिश्र)

नया नाम :
(दिव्यकान्त मिश्र)
मण्डला मध्यप्रदेश.

(630-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित करने में आता है कि मेसर्स प्रकाश एण्ड कम्पनी 5, कानूनगो बाखल इन्दौर मध्यप्रदेश में 1. श्री प्रकाशचन्द्र पिता स्व. अम्बालालजी जैन, 2. श्रीमती पानीबाई पति स्व. अम्बालालजी जैन एवं 3. श्री मिठालाल जैन पिता स्व. पन्नालालजी जैन, दिनांक 11-03-1983 के अनुसार भागीदार थे. दिनांक 12-11-1986 से श्री मिठालालजी के उक्त भागीदारी से स्वयं के निधन होने के कारण पृथक् होने के कारण उक्त फर्म में शेष दो भागीदार निम्नानुसार रहे.

1. श्री प्रकाशचन्द्र आत्मज स्वर्गीय श्री अम्बालालजी जैन,
2. श्रीमती पानीबाई पति स्वर्गीय श्री अम्बालालजी जैन

प्रकाश एण्ड कम्पनी,
प्रकाशचन्द्र जैन,
(भागीदार)
इन्दौर (म.प्र.).

(631-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित करने में आता है कि प्रकाश एण्ड कम्पनी 5, कानूनगो बाखल इन्दौर मध्यप्रदेश भागीदारी फर्म से श्रीमती पानीबाई पति स्व. अम्बालाल के दिनांक 01-01-2002 से निवृत्त होने के कारण एवं दिनांक 01-01-2002 से ही श्री दीपक जैन आत्मज श्री प्रकाशचन्द्र जैन के भागीदारी फर्म में भागीदार के नाते सम्मिलित होने से भागीदारी फर्म में बदलाव हुआ है. यह सर्व सामान्य को सूचनार्थ.

प्रकाश एण्ड कम्पनी,
प्रकाशचन्द्र जैन,
(भागीदार)
इन्दौर (म.प्र.).

(632-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित करने में आता है कि प्रकाश एण्ड कम्पनी 5, कानूनगो बाखल इन्दौर मध्यप्रदेश भागीदारी फर्म में मेसर्स प्रकाश बाटल कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड को भागीदार के रूप में दिनांक 10-12-2011 से सम्मिलित होने से भागीदारी फर्म में बदलाव हुआ है एवं वर्तमान से उक्त फर्म में निम्नलिखित भागीदारान रहेंगे 1. श्री प्रकाशचन्द्र आत्मज स्व. अम्बालाल जैन, 2. श्री दीपक जैन आत्मज श्री प्रकाशचन्द्र जैन, 3. मेसर्स प्रकाश बाटल कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड. यह सर्व सामान्य को सूचनार्थ.

प्रकाश एण्ड कम्पनी,
प्रकाशचन्द्र जैन,
(भागीदार)
इन्दौर (म.प्र.).

(633-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स माँ त्रिपुरा मिनरल्स, 03-न्यू गोविन्दपुरी, ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.) ने 08-12-2016 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर नवीन साझेदार के रूप में श्री रघुवीर सिंह पुत्र स्व. श्री विशाल सिंह, निवासी-ए-42, हरिशंकरपुरम, ग्वालियर (म.प्र.), श्री जितेन्द्र सिंह तोमर पुत्र स्व. श्री सियाराम सिंह तोमर, निवासी-सी-59, सूरी नगर, सी. पी. कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) एवं श्री रमाशंकर शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश शर्मा, निवासी ग्राम मालनपुर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश श्री अजय शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर दयाल शर्मा, निवासी माता मंदिर के सामने, गंगा माई संतर, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) को सम्मिलित किया गया है. भविष्य में फर्म से संबन्धित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य सभी साझेदारों को स्वीकार है.

मैसर्स माँ त्रिपुरा मिनरल्स,
बृजेश शर्मा,

(634-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स समर्थ कन्स्ट्रक्शन, मकान नं. एस-1, श्री जी विला रिबर व्यू कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर मध्यप्रदेश ने अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर साझेदार क्रमांक 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा, उम्र 40 वर्ष, धर्म हिन्दू, पता-9 बी, शिव साईं नगर, डी. बी. सिटी के पास ग्वालियर म.प्र. को दिनांक 14-10-2016 को फर्म से अलग कर दिया गया है एवं इनके स्थान पर नवीन साझेदार श्री प्रमोद कुमार शर्मा पुत्र श्री रामऔतार शर्मा, उम्र 39 वर्ष, धर्म हिन्दू, पता 40 ए, विनय नगर, सेक्टर-3, गौरीशंकर स्कूल के पास ग्वालियर म.प्र. को अपनी फर्म में दिनांक 14-10-2016 को सम्मिलित किया गया है. जो भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेनेदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म में रहने वाले-निकलने वाले एवं अन्य सभी साझेदारों को स्वीकार व मान्य है. इसी क्रम में साझेदारों की सहमति से फर्म में पते में भी परिवर्तन किया गया है. फर्म का पता संकट मोचन गली मीरा नगर, मुरार, ग्वालियर मध्यप्रदेश था. अब उसके स्थान पर नवीन पता मकान नं. एस-1 श्री जी विला रिबर व्यू कॉलोनी, मुरार ग्वालियर, मध्यप्रदेश किया गया है.

फर्म समर्थ कन्स्ट्रक्शन,
अजमेर सिंह गुर्जर,
(भागीदार)

(635-बी.)

NOTICE**(U/S 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)**

Notice is hereby given that the firm "M/s Hari Farms" of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/0141/2015 Dated 27-6-2015 undergone the following changes:-

1. That Vijay Hariramani S/o Shri Shyamdas Hariramani & Shri Harish Hariramani S/o Shri Shyamdas Hariramani has retired from the partnership firm and registered office of the firm is shifted at 23, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal w. e. f. 31-07-2016.

"M/s Hari Farms",
JAGDISH KUMAR ARORA,
(Partner)
23, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal.

(636-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स साईं श्रद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर, हरदा, कसेरा मोहल्ला, गोलापुरा हरदा, जिला हरदा मध्यप्रदेश ने अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर साझेदार क्रमांक-1 श्री रामनिवास शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा, उम्र 43 वर्ष, धर्म हिन्दू, पता कसेरा मोहल्ला, गोलापुरा हरदा, जिला हरदा मध्यप्रदेश एवं साझेदार क्रमांक 4. श्री नरोत्तम त्यागी पुत्र श्री रघुनाथ त्यागी, उम्र 43 वर्ष, धर्म हिन्दू, पता कसेरा मोहल्ला, गोलापुरा हरदा, जिला हरदा मध्यप्रदेश को दिनांक 01-04-2016 को फर्म से अलग कर दिया गया है एवं इनके स्थान पर नवीन साझेदार श्री ऋषीकेश शर्मा पुत्र श्री रामजी लाल शर्मा, उम्र 34 वर्ष, धर्म हिन्दू, पता कसेरा मोहल्ला, गोलापुरा हरदा, जिला हरदा मध्यप्रदेश को अपनी फर्म में दिनांक 01-04-2016 को सम्मिलित किया गया है। जो भविष्य में फर्म से संबंधित सभी प्रकार के लेनदेन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक जिम्मेदार होंगे और ये फर्म में रहने वाले, निकलने वाले एवं अन्य सभी साझेदारों को स्वीकार व मान्य है।

मैसर्स साईं श्रद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर,

S. SIKARWAR

(भागीदार)

हरदा, कसेरा मोहल्ला, गोलापुरा, हरदा,

जिला हरदा (म.प्र.).

(637-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)

प्रकरण क्रमांक 01/बी-113/16-17.

सारंगपुर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5(1) देखिये]

शीर्षक:- धाकड समाज सेवा ट्रस्ट उदनखेडी, तहसील पचोर.

पंजीयन लोक न्यास के समक्ष:

क्र./4126/प्रवा-/16.—चूँकि श्री उमरावसिंह पिता गंगाधर आदि, निवासी उदनखेडी द्वारा धाकड (नागर) समाज सेवा ट्रस्ट उदनखेडी सार्वजनिक न्यास धाकड समाज सेवा ट्रस्ट उदनखेडी, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) के अन्तर्गत जो कि एक पंजीकृत धार्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधि-स्वरूप का होगा के पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिसकी चल एवं अचल संपत्ति परिशिष्ट में दर्शायी गई है। सर्व संबंधित को यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रार्थना-पत्र मेरे न्यायालय में विचारार्थ है जो भी व्यक्ति उक्त न्यास एवं संपत्ति में हित रखता हो उसके बारे में सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस कार्यालय सूचना-पत्र द्वारा सूचना दी जाती है कि वह अधिसूचना प्रकाशन से 30 दिवस के अन्दर सुझाव, आपत्ति दो प्रतियों में स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करे।

उक्त नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति, सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा।

न्यासी की चल सम्पत्ति : स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया उदनखेडी ब्रांच में 10,000/- रुपये जमा है।

न्यास की अचल सम्पत्ति : सर्वे नं. 159 एवं सर्वे नं. 178 रकबा क्रमशः 0.315 हेक्टर, 0.631 हेक्टर कुल रकबा 0.946 हेक्टर है।

रमेश पाण्डेय,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(101)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगौन

रा.प्र.क्र.01/बी-113(1)/2016-17.

प्र. क्र. 35/16-17.

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 का तीसवां संशोधन की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 का नियम-5(1) देखिए]

आवेदकगण श्री विकास पिता अनसिंह सेनानी तथा अन्य-10, सभी निवासी ग्राम सिरवेल, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन श्री महादेव मंदिर ट्रस्ट ग्राम सिरवेल, तहसील भगवानपुरा की ओर से मध्यप्रदेश लोक न्यास के पंजीयन हेतु अधिनियम की धारा-4 के अधीन पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः जो भी व्यक्ति इस न्यास के संबंध में या सम्पत्ति के बारे में हित रखता हो या जो प्रकरण में आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह दो प्रति में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन से 30 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें और मेरे समक्ष स्वयं या अधिकृत अभिकर्ता/अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, उपरोक्त अवधि के पश्चात् की गई आपत्ति या सुझाव आदि पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(अचल सम्पत्ति व चल सम्पत्ति का विवरण)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिस्तान, खाता क्रमांक 35340296636, जमा राशि रु. 5000/- (अक्षरी रुपये पांच हजार मात्र).

आज दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी

महेन्द्रसिंह कवचे,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(102)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग कोतवाली, जबलपुर

रा. प्र. क्र./बी-113(4)/2016-17.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

चूँकि आवेदक रानी दुर्गावती स्मृति सेवा न्यास, जबलपुर द्वारा अध्यक्ष आषाढू लाल उड़के पिता श्री दुरग सिंह उड़के, निवासी गायत्री मंदिर के सामने वार्ड क्रमांक 01 बरघाट, पोस्ट बरघाट, जिला सिवनी के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को विचार के लिए नियत है। कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अधिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण एवं लोक न्यास का नाम और पता)

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. लोक न्यास का नाम | : | रानी दुर्गावती स्मृति सेवा न्यास |
| एवं पता | : | केशवकुटी 1321, सुभद्रानगर, गोलबाजार (राइट टाउन) जबलपुर म.प्र. |
| 2. चल सम्पत्ति | : | निरंक. |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |
| 4. न्यास की आय का स्रोत | : | दान एवं चंदा. |

जारी दिनांक-15-11-2016.

अंकुर मेश्राम,

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(103)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी. टी. नगर, वृत्त भोपाल

प्र.क्र. /बी-113/2016-17.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम (1) के अंतर्गत]

जैसाकि ओमप्रकाश किशनलाल चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा श्रीमती सरोज अग्रवाल श्री सत्यनारायण अग्रवाल, श्री महेश अग्रवाल, श्री पंकज अग्रवाल व श्री अमित जैन, निवासी-ई-2/33, अरेरा कॉलोनी, भोपाल ओमप्रकाश किशनलाल चैरिटेबिल ट्रस्ट ई-2/33, अरेरा कॉलोनी, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को विचार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव देना चाहते हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

- | | | |
|------------------|---|------------------------------------|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | ओमप्रकाश किशनलाल चैरिटेबिल ट्रस्ट. |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | निल. |
| 3. चल सम्पत्ति | : | निल. |

आज दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

कमल सोलंकी,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(104)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/1778.—राजमाता ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महाराजपुर (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./1106, छतरपुर, दिनांक 03 अगस्त, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. सी. अग्रवाल, वरि. सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

उक्त संस्था के परिसमापक श्री आर. सी. अग्रवाल द्वारा संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था की सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो जाने तथा संस्था की बैलेन्स सीट निल हो जाने के कारण संस्था के परिसमापक के अन्तिम प्रतिवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-1-सी अन्तर्गत एवं भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, उक्त राजमाता ईंधन आपूर्ति सहकारिता मर्या., महाराजपुर, पंजीयन क्रमांक 18, छतरपुर, दिनांक 02 अगस्त, 2004 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अखिलेश कुमार निगम,

डिप्टी रजिस्ट्रार.

(32)

कार्यालय परिसमापक एवं सह. निरी., सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के उप-नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छतरपुर द्वारा निम्न समितियों को निम्न आदेश क्रमांक एवं दिनांक के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है। समितियां निम्न प्रकार हैं:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	शासकीय सह. कर्म. साख सह. स. मर्या., छतरपुर	405/08-12-1972	943/03-06-2013

1	2	3	4
2.	खनिज कर्म उद्योग सह. स. मर्या., बडागांव	690/20-09-1994	23/15-01-2013
3.	खनिज कर्म उद्योग सह. स. मर्या., सरसेड	734/29-12-1994	23/15-01-2013
4.	खजुराहो बीज उत्पा. एवं क्रय-विक्रय सह. मर्या., चन्द्रपुरा	54/24-04-2007	1415/08-08-2014
5.	बहुबंधी सह समिति मर्या., जमींदारीपुरवा	31/03-11-1966	1096/03-08-2016
6.	सदभाव महिला प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., गढीमलहरा	755/14-02-1995	1097/03-08-2016
7.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मऊ	1285/25-04-2011	1118/03-08-2016
8.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., खिरवा	1338/09-12-2012	1119/03-08-2016
9.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., मनकारी	1279/12-01-2011	1120/03-08-2016

अतः मैं, यू. डी. पांचाल, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-1962 के उप-नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण पत्रों के मुझे लिखित रूप में सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी समितियां, छतरपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें यदि निर्धारित समयावधि में दावे प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये गये समझे जावेंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि यदि संस्था के अभिलेख किसी के पास हो तो वह भी मुझे प्रभार में तत्काल प्रस्तुत करें अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी उपरोक्त समयावधि में किसी भी प्रकार की लेनदारी एवं देनदारी सप्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जावेगा. परन्तु उक्त समयावधि पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रकार के दावे/अभ्यावेदन आदि पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(71)

यू. डी. पांचाल,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सह. निरी., सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के उप-नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छतरपुर द्वारा निम्न समितियों को निम्न आदेश क्रमांक एवं दिनांक के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. समितियां निम्न प्रकार हैं:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	सामूहिक कृषि सह. स. मर्या., विनैदा	278/24-03-1964	1379/23-09-2015
2.	सामूहिक कृषि सह. स. समिति मर्या., कचरा	347/30-05-2007	1382/23-09-2015
3.	मत्स्योद्योग सह. समिति मर्या., गंगऊ	444/01-08-1981	1383/23-09-2015
4.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., मौहरा	522/08-04-1986	1384/23-09-2015
5.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., सरगुवां	529/08-04-1986	1385/23-09-2015
6.	खनिज कर्म उद्योग सह. स. मर्या., बमनीघाट	719/02-12-1994	1380/23-09-2015

1	2	3	4
7.	आदिवासी गोरा पत्थर उ. सह. स. मर्या., सरकना	04/04-03-1959	1381/23-09-2015
8.	प्राथ. दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., बेड़री	1312/31-10-2011	1124/03-08-2016
9.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., टपरियन	1309/31-10-2011	1125/03-08-2016

अतः मैं, जगदीश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-1962 के उप-नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण पत्रों के मुझे लिखित रूप में सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी समितियां, छतरपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें यदि निर्धारित समयावधि में दावे प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये गये समझे जावेंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि यदि संस्था के अभिलेख किसी के पास हो तो वह भी मुझे प्रभार में तत्काल प्रस्तुत करें अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी उपरोक्त समयावधि में किसी भी प्रकार की लेनदारी एवं देनदारी सप्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जावेगा. परन्तु उक्त समयावधि पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रकार के दावे/अभ्यावेदन आदि पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

जगदीश गुप्ता,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(72)

कार्यालय परिसमापक एवं सह. निरी., सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के उप-नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छतरपुर द्वारा निम्न समितियों को निम्न आदेश क्रमांक एवं दिनांक के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. समितियां निम्न प्रकार हैं:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	साक्षी वस्त्र उद्योग सहकारिता मर्या., दौरिया	47/20-03-2006	1093/03-08-2016
2.	मत्स्य उद्योग सह. समिति मर्या., बटसडेरी	540/17-06-1976	1092/03-08-2016

अतः मैं, एम. के. रावत, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-1962 के उप-नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण पत्रों के मुझे लिखित रूप में सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी समितियां, छतरपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें यदि निर्धारित समयावधि में दावे प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये गये समझे जावेंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि यदि संस्था के अभिलेख किसी के पास हो तो वह भी मुझे प्रभार में तत्काल प्रस्तुत करें अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी उपरोक्त समयावधि में किसी भी प्रकार की लेनदारी एवं देनदारी सप्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जावेगा. परन्तु उक्त समयावधि पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रकार के दावे/अभ्यावेदन आदि पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

एम. के. रावत,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(73)

कार्यालय परिसमापक एवं सह. निरी., सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के उप-नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छतरपुर द्वारा निम्न समितियों को निम्न आदेश क्रमांक एवं दिनांक के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. समितियां निम्न प्रकार हैं:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	मत्स्योद्योग सह. स. मर्या., नयागाँव	494/26-12-1985	1398/23-09-2015
2.	उर्दना मत्स्योद्योग सह. स. समिति मर्या., सिंगरो	1087/12-03-2006	1397/23-09-2015
3.	मत्स्योद्योग सह. स. समिति मर्या., भियाताल	430/25-07-1980	1396/23-09-2015
4.	महिला बहु. सह. समिति मर्या., बिला	1055/08-10-2004	1395/23-09-2015
5.	श्री सिद्धेश्वर बीज उत्पा. प्रकिया एवं विप. सह. समिति मर्या., राजनगर.	252/22-06-2010	1394/23-09-2015
6.	अन्नपूर्णा बीज उत्पा. सह. स. मर्या., गंज	26/20-09-2004	1393/23-09-2015
7.	आजाद प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., खजुराहो	1086/27-02-2006	1392/23-09-2015
8.	रावबहादुर सिंह. जिला बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., छतरपुर	02/18-10-2002	1391/23-09-2015
9.	ईंधन आपूर्ति सह. मर्या., छतरपुर	09/16-04-2004	1390/23-09-2015
10.	राधे-राधे ईंधन आपूर्ति सह. मर्या., छतरपुर	08/13-04-2004	1388/23-09-2015
11.	गायत्री महिला ईंधन आपूर्ति सह. मर्या., छतरपुर	12/26-06-2004	1387/23-09-2015
12.	प्राथ. दुग्ध सह. समिति मर्या., बौडा	1341/09-12-2012	1115/03-08-2016
13.	प्राथ. दुग्ध सह. समिति मर्या., बराकीरतपुरा	1340/09-12-2012	1116/03-08-2016
14.	प्राथ. दुग्ध सह. समिति मर्या., दोगरा	1348/20-01-2012	1117/03-08-2016

अतः मैं, चतुरेश तिवारी, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-1962 के उप-नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण पत्रों के मुझे लिखित रूप में सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी समितियां, छतरपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें यदि निर्धारित समयावधि में दावे प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये गये समझे जावेंगे.

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि यदि संस्था के अभिलेख किसी के पास हो तो वह भी मुझे प्रभार में तत्काल प्रस्तुत करें अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी उपरोक्त समयावधि में किसी भी प्रकार की लेनदारी एवं देनदारी सप्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जावेगा. परन्तु उक्त समयावधि पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रकार के दावे/अभ्यावेदन आदि पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

चतुरेश तिवारी,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सह. निरी., सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के उप-नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छतरपुर द्वारा निम्न समितियों को निम्न आदेश क्रमांक एवं दिनांक के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. समितियां निम्न प्रकार हैं:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	शिवा प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., घुवारा	1095/12-06-2006	2501/02-12-2013
2.	जटाशंकर परिवहन सह. स. मर्या., बडामलहरा	1111/24-04-2007	2497/02-12-2013
3.	बैनीप्रसाद फल-फूल बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., बंधा (चमरोई)	1118/09-08-2007	2448/29-11-2013
4.	महिला बहु. सहकारिता मर्या., बंधा चदौली	36/21-04-2005	944/03-06-2013
5.	महिला बहु. सहकारिता मर्या., कुटौरा	35/21-04-2005	944/03-06-2013
6.	महिला बहु. सहकारिता मर्या., बंधा बछरावनी	34/21-04-2005	944/03-06-2013
7.	महिला बहु. सहकारिता मर्या., बंधा बूदौर	33/21-04-2005	944/03-06-2013
8.	प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., बडामलहरा	1078/05-10-1985	2426/27-12-2014

अतः मैं, आर. एन. सिंह यादव, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-1962 के उप-नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण पत्रों के मुझे लिखित रूप में सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी समितियां, छतरपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें यदि निर्धारित समयावधि में दावे प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये गये समझे जावेंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि यदि संस्था के अभिलेख किसी के पास हो तो वह भी मुझे प्रभार में तत्काल प्रस्तुत करें अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी उपरोक्त समयावधि में किसी भी प्रकार की लेनदारी एवं देनदारी सप्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जावेगा. परन्तु उक्त समयावधि पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रकार के दावे/अभ्यावेदन आदि पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

आर. एन. सिंह यादव,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(75)

कार्यालय परिसमापक एवं सह. निरी., सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

छतरपुर, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के उप-नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./1.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छतरपुर द्वारा निम्न समितियों को निम्न आदेश क्रमांक एवं दिनांक के तहत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. समितियां निम्न प्रकार हैं:-

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श बुनकर सह. समिति मर्या., लौड़ी	443/16-09-2009	1401/23-09-2015

1	2	3	4
2.	एकता कामगार सह. समिति मर्या., छतरपुर	766/15-06-1994	1400/23-09-2015
3.	कुक्कुट पालन सह. समिति मर्या., रामपुर कुरा	900/22-10-2001	1399/30-09-2015

अतः मैं, बी. पी. प्रजापति, अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां नियम-1962 के उप-नियम 57 (सी) के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि संस्था के विरुद्ध अपने दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण पत्रों के मुझे लिखित रूप में सहायक पंजीयक (अंकेक्षक) सहकारी समितियां, छतरपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें यदि निर्धारित समयावधि में दावे प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये गये समझे जावेंगे।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि यदि संस्था के अभिलेख किसी के पास हो तो वह भी मुझे प्रभार में तत्काल प्रस्तुत करें अन्यथा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी उपरोक्त समयावधि में किसी भी प्रकार की लेनदारी एवं देनदारी सप्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जावेगा. परन्तु उक्त समयावधि पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रकार के दावे/अभ्यावेदन आदि पर विचार नहीं किया जावेगा तथा नियमानुसार संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर की ओर प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

(76)

बी. पी. प्रजापति,
परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी, 2017-माघ 7, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 07 सितम्बर, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.--राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.-

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.-तहसील मुरैना, सबलगढ़, कैलारस (मुरैना), भिण्ड, लहार (भिण्ड), मुंगावली, अशोकनगर (अशोकनगर), टीकमगढ़ (टीकमगढ़), बड़मल्हारा, बकस्वाहा (छतरपुर), बीना, खुरई, बण्डा, सागर, रेहली, देवरी, राहतगढ़, मालथोन, शाहगढ़ (सागर), बटियागढ़, पथरिया (दमोह), रघुराजनगर, मझगावां, रामपुर-बघेलान, नागौद, उचेहरा, रामनगर, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), त्योंथर, मऊगंज, हनुमना, गुढ़ (रीवा), बुढार (शहडोल), मानपुरा, गरोट, धुन्धड़का (मंदसौर), खाचरौद (उज्जैन), मो. बड़ोदिया, गुलाना (शाजापुर), अलीराजपुर, सोंडवा, उदयगढ़ (अलीराजपुर), सरदारपुर, मनावर, धरमपुरी, कुक्षी, गंधवानी (धार), सेगांव, झिरन्या (खरगौन), ठीकरी, पानसेमल, निवाली (बड़वानी), सीहोर, श्यामपुर, आष्टा (सीहोर), रायसेन, बेगमगंज, बरेली, बाडी (रायसेन), बाबई, सुहागपुर, पिपरिया, पचमढ़ी (होशंगाबाद), खिड़किया (हरदा), पाटन, मंझोली, कुंडम (जबलपुर), तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर), नैनपुर, मंडला, घुघरी (मंडला), तामिया, सौंसर, हर्ई, उमरेट, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, घन्सौर, घनोरा (सिवनी), लालबर्गा, बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.-तहसील मेहगांव (भिण्ड), जतारा, वल्देवगढ़ (टीकमगढ़), लवकुश नगर, नौगांव, छतरपुर, बिजावर (छतरपुर), पन्ना (पन्ना), हटा, दमोह (दमोह), हुजूर, रामपुरकर्चुलियान (रीवा), सोहागपुर, जैसिंहनगर, गोहपारू (शहडोल), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), गोपदबनास, सिहावल, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), मंदसौर, श्यामगढ़ (मंदसौर), नीमच (नीमच), तराना (उज्जैन), शाजापुर, कालापीपल (शाजापुर), जोवट (अलीराजपुर), डही (धार), भीकनगांव (खरगौन), राजपुर, पाटी (बड़वानी), जावर (सीहोर), सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन), होशंगाबाद, वनखेड़ी (होशंगाबाद), जबलपुर (जबलपुर), नरसिंहपुर, गोटेगांव (नरसिंहपुर), निवास, बिछिया, नारायणगंज (मंडला), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, पांडुनी, चौरई, बिछुआ (छिन्दवाड़ा), बरघाट, कुरई, छपारा (सिवनी), लांजी, कटंगी, किरनापुर, खैरलांजी, बिरसा, परसवाड़ा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.- तहसील श्योपुर, करालह (श्योपुर), गोहद (भिण्ड), ईसागढ़, चेन्दरी (अशोकनगर),

निवाड़ी, पृथ्वीपुर, पलेरा (टीकमगढ़), पवई (पन्ना), गढ़ाकोटा, केसली (सागर), जवेरा (दमोह), सुभाषराटप्पा, मल्हारगढ़, सीतामऊ, कयामपुर (मंदसौर), बड़नगर (उज्जैन), च. शेखर आ. नगर (अलीराजपुर), बदनावर, धार (धार), बड़वाह, खरगौन, गोगावां, कसरावद, भगवानपुरा (खरगौन), इच्छावर, नसरुल्लागंज, रेहटी, बुधनी (सीहोर), गैरतगंज (रायसेन), सिवनी-मालवा, इटारसी (होशंगाबाद), हरदा, टिमरनी (हरदा), गाडरवाड़ा, करेली (नरसिंहपुर), लखनादौन (सिवनी), बालाघाट (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.- तहसील पटेरा (दमोह), जैतपुर (शहडोल), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), संजीत (मंदसौर), जावद, मनासा (नीमच), महिदपुर, घटिया, उज्जैन, नागदा (उज्जैन), शुजालपुर (शाजापुर), कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), महेश्वर (खरगौन), बुरहानपुर, खकनार, नेपालगर (बुरहानपुर), वारासिवनी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.- जिला श्योपुर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सीधी, जबलपुर, नरसिंहपुर व मंडला में जुताई व रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।
3. बोनी.- जिला छतरपुर, पन्ना, नरसिंहपुर व मण्डला में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।
4. फसल स्थिति-
5. कटाई.-
6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, शहडोल, बड़वानी, बुरहानपुर, जबलपुर व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।
8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 07 सितम्बर, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह .. 2. पोरसा .. 3. मुरैना 8.2 4. जौरा .. 5. सबलगढ़ 2.0 6. कैलारस 15.0					
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, तिल, तुअर, उड़द, मूंग, मक्का, सोयाबीन. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 40.0 2. कराहल 38.0 3. विजयपुर ..					
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजार, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर .. 2. भिण्ड 1.0 3. गोहद 52.0 4. मेंहगांव 21.3 5. लहार 7.0 6. मिहोना } 7. रौन }					
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. ग्वालियर .. 2. डबरा .. 3. भितरवार .. 4. घाटीगांव ..					
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, मूंगफली, तिल, उड़द, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा .. 2. दतिया .. 3. भाण्डेर ..					
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी .. 2. पिछोर .. 3. खनियाधाना .. 4. नरवर .. 5. करैरा .. 6. कोलारस .. 7. पोहरी .. 8. बदरवास ..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	7.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	39.0		(2) ..		
3. अशोकनगर	9.0				
4. चन्देरी	41.0				
5. शाढौरा	..				
8. *जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	36.0		4. (1) धान, ज्वार, मूंग, उर्दा, मूंगफली, तिल, अरहर- समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	36.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	30.4				
4. टीकमगढ़	3.0				
5. बल्देवगढ़	22.0				
6. पलेरा	40.0				
7. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	20.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	25.7				
4. छतरपुर	25.4				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	25.0				
7. बड़ामलहरा	4.2				
8. बक्सवाहा	15.0				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. पन्ना	22.7		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	53.0				
5. शाहनगर	..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बीना	16.4		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	3.2		(2) ..		
3. बण्डा	10.0				
4. सागर	5.2				
5. रेहली	6.0				
6. देवरी	7.0				
7. गढ़ाकोटा	44.4				
8. राहतगढ़	11.0				
9. केसली	45.0				
10. मालथोन	5.0				
11. शाहगढ़	6.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, धान, अरहर, उड़द, ज्वार, मूंग, मक्का, गन्ना, मूंगफली, तिल सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	18				
2. बटियागढ़	15				
3. दमोह	27.4				
4. पथरिया	13				
5. जवेरा	40				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	59				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन कम. धान, मक्का, उड़द, मूंग, तिल, अरहर समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	11.1				
2. मझगवां	3.0				
3. रामपुर-बघेलान	5.0				
4. नागौद	2.2				
5. उचेहरा	9.0				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	12.0				
8. मैहर	8.0				
9. बिरसिंहपुर	17.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) उड़द, मूंग अधिक. धान, सोयाबीन तुअर, ज्वार समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	17.0				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	16.2				
4. हनुमना	14.3				
5. हजूर	20.0				
6. गुढ़	5.0				
7. रायपुरकर्चुलियान	24.0				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, तिल, उड़द अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	32.5				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	33.0				
4. बुढ़ार	3.4				
5. गोहपारू	31.0				
6. जैतपुर	105.4				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, सोया, तुअर, तिल, कोदो-कूटकी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	56.0				
2. अनूपपुर	91.4				
3. कोतमा	89.2				
4. पुष्पराजगढ़	92.8				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड़द, मूंग, तिल, ज्वार अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	23.4				
2. पाली	22.0				
3. मानपुर	21.0				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	30.0				
2. सिंहावल	18.4				
3. मझौली	6.0				
4. कुसमी	22.0				
5. चुरहट	28.2				
6. रामपुरनैकिन	17.9				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्या	52.0		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	2.6		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	53.0				
4. गरोठ	6.0				
5. मंदसौर	22.0				
6. श्यामगढ़	30.0				
7. सीतामऊ	49.0				
8. धुंधडक्का	15.0				
9. संजीत	69.0				
10. कयामपुर	38.0				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	90.0		4. (1) उड़द, मक्का, तिल, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	29.0		मूंगफली, मूंग अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	63.0		सोयाबीन, धान कम.		
			(2) ..		
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बाजना	..				
5. पिपलोदा	..				
6. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	12.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	100.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	29.0				
4. घटिया	80.0				
5. उज्जैन	70.0				
6. बड़नगर	35.0				
7. नागदा	66.0				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ौदिया	5.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	18.0		उड़द, मूंग समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	94.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कालापीपल	30.0				
5. गुलाना	13.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..			4. (1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग अधिक. सोयाबीन, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..			(2) ..		
3. देवास	..					
4. बागली	..					
5. कन्नोद	..					
6. खातेगांव	..					
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. थांदला	..			4. (1) मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूंगफली, धान, कपास, तुअर सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..			(2) ..		
3. पेटलावद	..					
4. झाबुआ	..					
5. राणापुर	..					
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जोवट	26.6			4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	15.0			(2) ..		
3. कट्टीवाड़ा	70.0					
4. सोंडवा	10.0					
5. उदयगढ़	15.2					
6. च. शेखर आ. नगर	37.2					
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	35.8			4. (1) सोयाबीन, कपास, गन्ना अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	14.0			(2) ..		
3. धार	35.3					
4. कुक्षी	10.0					
5. मनावर	6.0					
6. धरमपुरी	7.0					
7. गंधवानी	13.0					
8. डही	18.0					
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..			(2) ..		
3. इन्दौर	..					
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	..					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2.	..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	45.0			4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, रई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूंगफली, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	84.0			(2) ..		
3. सेगांव	13.0					
4. खरगौन	52.2					
5. गोगावां	40.0					
6. कसरावद	36.0					
7. भगवानपुरा	45.0					
8. भीकनगांव	21.0					
9. झिरन्या	7.0					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..			4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार,	6. संतोषप्रद,	8. ..	
2. ठीकरी	13.0			कपास कम.	चारा पर्याप्त.		
3. राजपुर	20.0			(2) ..			
4. सेंधवा	..						
5. पानसेमल	14.0						
6. पाटी	25.0						
7. निवाली	4.0						
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..			4. (1) सोयाबीन, कपास, धान, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.	
2. पंधाना	..			ज्वार, उड़द, मूंग.	चारा पर्याप्त.		
3. हरसूद	..			(2) ..			
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	83.0			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.	
2. खकनार	81.0			(2) ..	चारा पर्याप्त.		
3. नेपानगर	71.0						
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.	
2. खिलचीपुर	..			(2) ..	चारा पर्याप्त.		
3. राजगढ़	..						
4. ब्यावरा	..						
5. सारंगपुर	..						
6. पचोर	..						
7. नरसिंहगढ़	..						
37. *जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. ..	7. ..
1. लटेरी	..			4. (1) ..	6. ..	8. ..	
2. सिरोंज	..			(2) ..			
3. कुरवाई	..						
4. बासोदा	..						
5. नटेरन	..						
6. विदिशा	..						
7. गुलाबगंज	..						
8. ग्यारसपुर	..						
38. *जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. ..	7. ..
1. बैरसिया	..			4. (1) ..	6. ..	8. ..	
2. हुजूर	..			(2) ..			
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	..	3.	..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	2.4			4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.	
2. श्यामपुर	15.0			(2) ..	चारा पर्याप्त.		
3. आष्टा	7.0						
4. जावरा	52						
5. इछावर	21.6						
6. नसरुल्लागंज	42.0						
7. रेहटी	36.4						
8. बुधनी	44.0						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	10.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, तिल अधिक. मूंग, सोयाबीन, मूंगफली कम. गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. गैरतगंज	43.7		(2) ..		
3. बेगमगंज	12.8				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	5.2				
6. सिलवानी	22.6				
7. बाड़ी	14.0				
8. उदयपुरा	25.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन कम. धान समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	40.0		4. (1) गन्ना, धान, उड़द अधिक. सोयाबीन, मूंगमोठ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	34.2		(2) ..		
3. बावई	12.0				
4. इटारसी	52.0				
5. सोहागपुर	14.0				
6. पिपरिया	12.6				
7. बनखेड़ी	33.0				
8. पचमढी	12.4				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	43.7		4. (1) सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	4.2		(2) ..		
3. टिमरनी	46.2				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..		4. (1) मक्का अधिक. उड़द, धान, तुअर, कोदों कुटकी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	7.2		(2) ..		
3. जबलपुर	25.8				
4. मझोली	6.4				
5. कुण्डम	12.2				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	41.0				
2. करेली	37.0				
3. नरसिंहपुर	24.0				
4. गोटेगांव	27.0				
5. तेंदूखेड़ा	9.0				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, सन्, कोदो-कुटकी, तुअर, उड़द, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	19.0				
2. बिछिया	32.6				
3. नैनपुर	7.4				
4. मण्डला	2.4				
5. घुघरी	7.6				
6. नारायणगंज	27.2				
48. *जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी	..				
2. शाहपुरा	..				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	20.8				
2. जुन्नारदेव	24.2				
3. परासिया	31.7				
4. तामिया	7.8				
5. सोंसर	4.3				
6. पांडुर्णा	21.6				
7. अमरवाड़ा	39.5				
8. चौरई	23.1				
9. चाँद	..				
10. बिछुआ	19.3				
11. हरई	15.8				
12. उमरेठ	11.2				
13. मोहखेड़ा	13.2				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, को-कु, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सन्, गन्ना. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	7.0				
2. केवलारी	..				
3. लखनादोन	50.70				
4. बरघाट	20.10				
5. उरई	20.0				
6. घंसोर	6.0				
7. घनोरा	1.30				
8. छपारा	33.10				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	39.8				
2. लौंजी	30.3				
3. बैहर	15.0				
4. वारासिवनी	53.9				
5. कटंगी	31.4				
6. किरनापुर	25				
7. खैरलांजी	23.0				
8. लालबर्गा	16.8				
9. बिरसा	21.1				
10. परसबाड़ा	25.7				

टीप.-*जिला गुना, सिंगरौली, विदिशा, भोपाल, डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

सुहेल अली,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.